न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गोविन्द लाल पुत्र रामजस सोमानी निवासी हमीरगढ
2. प्रहलाद राय पुत्र रामजस सोमानी निवासी हमीरगढ
3. कैलाशचन्द्र पुत्र रामजस सोमानी निवासी हमीरगढ

---प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र रामचन्द्र सोमानी निवासी हमीरगढ
2. रतनलाल पुत्र रामचन्द्र सोमानी निवासी हमीरगढ
3. श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी रतनलाल सोमानी निवासी हमीरगढ

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री सुरेश चन्द्र अहीर अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 व 03 की ओर से बहस में भाग नही लिया ।

निर्णय

दिनांक : 08.05.2019

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान का एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,54,92क व 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ के समक्ष स्थानान्तरण कर दिया गया जो वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ के समक्ष विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 28.12.2018 को साक्ष्य की स्टेज पर नियत है। यह है कि वादीगण वयोवृद्ध होकर उम्र के अन्तिम पड़ाव पर है जिनका स्वास्थ्य खराब होकर मधुमेह रोगी है। वादीगण वर्तमान भीलवाडा शहर में स्थाई रूप से निवास कर रहे है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ जो कि भीलवाडा शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में वादीगण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थिति नही दे पा रहे है। चूंकि उक्त प्रकरण पिछले 10 वर्ष से भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन था जहां वादीगण पर्याप्त रूप से अपनी उपस्थिति देकर अपना पक्ष रखते चले आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रकरण का गुणावगुण तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर विचारण नही होकर अन्तिम रूप से निर्णित नही हो पायेगा। वादीगण न्याय से वंचित हो जायेगें। इसलिये उक्त प्रकरण वादीगण की उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुये पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष विचारण हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ जिला भीलवाडा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष विचारण हेतु स्थानान्तरित कराई जाकर प्रकरण का विचारण कराये जाने की कृपा करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी सं. 03 की ओर से दिनांक 30.01.2019 को जवाब पेश किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 01 से लगायत 02 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि वादीगण वयोवृद्ध होकर उम्र के अन्तिम पड़ाव पर है जिनका स्वास्थ्य खराब होकर मधुमेह रोगी है। वादीगण वर्तमान भीलवाडा शहर में स्थाई रूप से निवास कर रहे है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ जो कि भीलवाडा शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में वादीगण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थिति नही दे पा रहे है। चूंकि उक्त प्रकरण पिछले 10 वर्ष से भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन था जहां वादीगण पर्याप्त रूप से अपनी उपस्थिति देकर अपना पक्ष रखते चले आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रकरण का गुणावगुण तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर विचारण नही होकर अन्तिम रूप से निर्णित नही हो पायेगा। वादीगण न्याय से वंचित हो जायेगें। इसलिये उक्त प्रकरण वादीगण की उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुये पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष विचारण हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विपक्षीगण अधिवक्ता ने बहस में भाग नही लिया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि चूंकि उक्त प्रकरण पिछले 10 वर्ष से भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन था जहां वादीगण पर्याप्त रूप से अपनी उपस्थिति देकर अपना पक्ष रखते चले आ रहे थे। प्रकरण का गुणावगुण तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। जिससे वादीगण न्याय से वंचित नही हो। इसलिये उक्त प्रकरण वादीगण की उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुये तथा गुणावगुण तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष सुनवाई एवं

नियमानुसार निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव –

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 235 स्वीकार किया जाकर उक्त उनवान प्रकरण के राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,54,52क व 188 आर.टी.ए. को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा एवं उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा